संख्या-871/2025/3116/22-2-2023-17(957)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री बाबूराम निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-23888/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023), दिनांक 24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री बाबूराम, जो सिमरा केशवपुर, थाना-फरीदपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। प्रकरण में प्रथम केसः- घर आने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 02.04.1998 को बन्दी ने तमंचे से गोली मारकर भीमसैन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी।

द्वितीय केसः- पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 25.08.1994 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गडांसा से गर्दन काटकर रामचन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी।

उक्त अपराध हेतु (1) बन्दी को एसटी नं0-387/1998, भा0द0वि0 की धारा-302, 506 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश / स्पेशल जज (ई0सी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 04.01.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

(2) बन्दी को एसटी नं0-292/1995, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, बरेली के आदेश दिनांक 29.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

प्रथम केस में बन्दी ने दिनांक 02.06.2023 तक अपरिहार 21 वर्ष, 00 माह 16 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 10 माह 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

द्वितीय केस में बन्दी ने दिनांक 02.06.2023 तक अपरिहार 19 वर्ष, 01 माह 05 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 03 माह 26 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में किसी भी घटना घटित किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से समयपूर्व रिहा किये जाने पर अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम केसः- घर आने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 02.04.1998 को बन्दी ने तमंचे से गोली मारकर भीमसैन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केसः- पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 25.08.1994 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

मिलकर गडांसा से गर्दन काटकर रामचन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 अन्य वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी दवारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-बरेली को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विष्णु (बन्दी संख्या-41269) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-बरेली की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-871/2025/3116(1)/22-2-2023-17(957)/2023,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-871/2025/3116/22-2-2023-17(957)/2023

दिनांकः 25 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री बाबूराम, जो सिमरा केशवपुर, थाना-फरीदपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। प्रकरण में प्रथम केसः- घर आने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 02.04.1998 को बन्दी ने तमंचे से गोली मारकर भीमसैन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी।

द्वितीय केसः- पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 25.08.1994 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गडांसा से गर्दन काटकर रामचन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी।

उक्त अपराध हेतु (1) बन्दी को एसटी नं0-387/1998, भा0द0वि0 की धारा-302, 506 के अन्तर्गत मा॰ अपर सत्र न्यायाधीश / स्पेशल जज (ई0सी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 04.01.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

(2) बन्दी को एसटी नं0-292/1995, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, बरेली के आदेश दिनांक 29.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

प्रथम केस में बन्दी ने दिनांक 02.06.2023 तक अपरिहार 21 वर्ष, 00 माह 16 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 10 माह 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

द्वितीय केस में बन्दी ने दिनांक 02.06.2023 तक अपरिहार 19 वर्ष, 01 माह 05 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 03 माह 26 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में किसी भी घटना घटित किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से समयपूर्व रिहा किये जाने पर अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम केसः- घर आने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 02.04.1998 को बन्दी ने तमंचे से गोली मारकर भीमसैन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केसः- पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 25.08.1994 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गडांसा से गर्दन काटकर रामचन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 अन्य वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी दवारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-बरेली को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in